सूचना का अधिकार 2005

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा (म.प्र.)

बिन्दु क्रमांक – 1 संगठन, कृत्य तथा कर्त्तव्यों की विशिष्टताएं :

राज्य शासन स्तर पर मछली पालन विभाग के सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु जिला खण्डवा में कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा को अधिकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत समस्त मछली पालन की गतिविधि का संचालन विभागीय अमले के माध्यम से संचालित किया जाता है। कार्य संचालन हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

क्र.	योजना का विवरण	योजनाओं का सम्पादन कार्य के हेतु अधिकृत अमला
1	2	3
1	तालाब पट्टा आवंटन	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमल
2	मत्स्य बीज उत्पादन/संचयन	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
3	मत्स्य उत्पादन	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
4	मछुआ प्रशिक्षण	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
5	मत्स्य कृषको/मछुआ समिति को ऋण/अनुदान	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
6	मत्स्य कृषकों का दुर्घटना बीमा	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
7	बचत सह राहत	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला
8	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण हेतु ऋण अनुदान	सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा एवं मैदानी अमला

बिन्दु क्रमांक – 5

समस्त शाखा प्रभारी द्वारा उक्त बिन्दु से संबंधित नस्त्थी का संधारण किया गया है । शाखा प्रभारी निम्नानुसार है –

1. योजना शाखा
2. स्थापना शाखा
3. लेखा शाखा
4. भण्डार शाखा
5. वाहन शाखा

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा

कार्यालय द्वारा संधारित जानकारी :–

कार्यालय की सम्पूर्ण जानकारी विभिन्न शाखाओं के तहत संधारित की जाती है। शाखाएं निम्नानुसार है –

1. योजना शाखा
2. स्थापना शाखा
3. लेखा शाखा
4. भण्डार शाखा
5. वाहन शाखा

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा

1. विभागीय योजना :–

योजना शाखा :–

योजना शाखा के तहत कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश की मछली पालन योजना जो जिला खण्डवा में क्रियान्वित की जाती है । साथ ही इस कार्यालय के माध्यम से मछली पालन से जुड़े सभी वर्गो के मछुआरों की कल्याणकारी योजनओं की जानकारी दी जाकर उनके उत्थान हेतु प्रयास किये जा रहे है । इस सम्बन्ध में निम्नानुसार जानकारी संधारित की जाती है ।

1. विभाग द्वारा योजना शाखा की जानकारी का संधारण :–

1. खण्डवा जिले में उपलब्ध जलक्षेत्र सिंचाई /ग्रामीण तालाब/ निकाय के तालाबों की जानकारी ।
2. मत्स्य पालन हेतु सिंचाई तालाब जो पट्टे पर दिये गये है की जानकारी।
3. जिले में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति की जानकारी ।
4. जिले में समूह की जानकारी ।

2. मत्स्य बीज उत्पादन इकाई :–

1. शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र नागचुन एवं सुक्ता मत्स्य प्रक्षेत्र ।
2. निजी मत्स्य प्रक्षेत्र / मत्स्य पालक

3. मत्स्य बीज संचयन :–

1. सिंचाई तालाब/विभागीय/नगर पालिक निगम/निकाय/के तालाब ।

4. मत्स्य उत्पादन :–

विभाग द्वारा एक तालाब में मत्स्य पालन किया जाता है।

1. भगवन्त सागर (सुक्ता) जलाशय
2. सिंचाई/ग्रामीण/निकाय सम्बन्धित पट्टाधरकों द्वारा

5. मत्स्य कृषकों को ऋण :–

1. मछुआ सहकारी समिति
2. मछुआ समूह
3. व्यक्तिगत

6. मत्स्य कृषकों को ऋण वसूली :–

1. मछुआ सहकारी समिति
2. मछुआ समूह
3. व्यक्तिगत

7. मत्स्य कृषकों को अनुदान :–

1. मछुआ सहाकारी समिति
2. मछुआ समूह
3. व्यक्तिगत

8. मत्स्य पालकों को मछुआ प्रशिक्षण :–

1. सामान्य मत्स्य पालक
2. अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक
3. अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालक

9. बचत सह राहत योजना के तहत लाभान्वित मत्स्योद्योग सहकारी समिति की जानकारी :–

1. सामान्य मत्स्य सहकारी समिति

2. अनुसूचित जाति मत्स्य सहकारी समिति
3. अनुसूचित जनजाति मत्स्य सहकारी समिति

10. मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा (मत्स्य कृषक) :–

1. मछुआ सहकारी समिति

   1. सामान्य
   2. अनुसूचित जाति
   3. अनुसूचित जन जाति

   मछुआ समूह

   1. सामान्य
   2. अनुसूचित जाति
   3. अनुसूचित जन जाति

11. विभाग को प्राप्त आय :–

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी संधारण

1. खण्डवा जिले में उपलब्ध ग्रामीण अन्य तालाब/स्वयं की भूमि अन्तर्गत निर्मित तालाबों की जानकारी ।
2. ग्रामीण तालाब जो मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिये गये है, की जानकारी ।
3. स्वयं सहायता समूह / समूह को जिन्हें तालाब पट्टे पर दिये गये है की जानकारी।
4. **मत्स्य बीज संचयन** – ग्रामीण, अन्य तालाब, स्वयं भूमि में बने तालाबों में मत्स्य बीज संचयन की जानकारी । सम्बन्धित कृषकों द्वारा ।

5. **मत्स्य उत्पादन** – ग्रामीण, अन्य तालाब, स्वयं भूमि में बने तालाबों से मत्स्य उत्पादन की जानकारी । सम्बन्धित कृषकों द्वारा ।

6. **ऋण** –

   1. **पोण्ड कल्चर** – बैंको को भेजे गये ऋण प्रकरणों की जानकारी स्वीकृत एवं ऋण वितरण की जानकारी ।
   2. **स्वयं भूमि में तालाब निर्माण** – बैंको को भेजे गये ऋण प्रकरणों की जानकारी स्वीकृत एवं ऋण वितरण की जानकारी ।

7. **अनुदान वितरण** –

   1. **पोण्ड कल्चर** – हितग्राहियों को अनुदान वितरण की जानकारी ।
   2. **स्वयं भूमि में तालाब निर्माण** – हितग्राहियों को अनुदान वितरण की जानकारी ।

8. **मछुआ प्रशिक्षण** – मछुओं को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी ।

खण्डवा जिलें में मत्स्य विभाग अन्तर्गत समस्त कार्य का सम्पादन :–

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

खण्डवा जिले में मछली पालन हेतु विपुल जल संसाधन ग्रामीण एवं सिंचाई तालाब, नदिया एवं अन्य रूपों में उपलब्ध है। मछली पालन मुख्यतः समाज के सभी वर्गों के लोगो का उत्थान का संशक्त माध्यम है। अब राज्य शासन द्वारा मछली पालन विकास के विभिन्न कार्यक्रम मुख्य योजनाएं बजट उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, जो निम्नानुसार है :–

1. त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था द्वारा तालाब आवंटन :–

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण एवं सिंचाई तालाब औसत जलक्षेत्र के आधार पर मत्स्य पालन के लिये ग्रामीण तालाब 10 वर्ष एवं सिंचाई तालाब 7 वर्ष हेतु शासन की नीति अनुसार पट्टे पर निम्नानुसार दिये जाते है।

1. 0–10 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत ।
2. 10–100 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब जनपद पंचायत के अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत ।
3. 100–2000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत।

हितग्राही उपरोक्त अनुसार जलाशयों को पट्टे पर लेकर मत्स्य बीज संचयन निर्धारित दर अनुसार करता है, जो निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**विवरण**	**प्रति हेक्टेयर फ्राय संचय**
1.	ग्रामीण तालाब बारहमासी	10,000 /– प्रति हेक्टेयर
2.	ग्रामीण तालाब मौसमी	9,000/– प्रति हेक्टेयर
3.	सिंचाई तालाब	1,000/– प्रति हेक्टेयर

मत्स्य उत्पादन :–

विभाग द्वारा संचालित भगवन्त सागर (सुक्ता) जलाशय में उन्नत प्रजाति का मछली बीज संचय कर मछुआ सहकारी समिति/ मछुआ समूह से अनुबन्ध कर निम्न स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट कार्य करवाया जाता है व उत्पादित मत्स्य से सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रजाति	**स्वत्व शुल्क दर**
प्रमुख सफर	14.00 रूपये प्रति किलो
स्थानीय बडी	10.00 रूपये प्रति किलो
स्थानीय छोटी	08.00 रूपये प्रति किलो

मध्यप्रदेश शासन
मछली पालन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2071/04/36/ भोपाल, दिनांक 16.12.04

प्रति,

संचालक
मत्स्योद्योग,
मध्यप्रदेश

विषय :– शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मछुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एवं दरों में पुनरीक्षण ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 970, 971/म/सह/03–04 दिनांक 7.2.04

राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई–2/51/81/36 दिनांक 6.11.82 एवं ज्ञापन क्रमांक ई–2/44/36/90 दिनांक 7.10.92 एवं 5.11.92 को अतिक्रमित करते हुये मछुओ को मछली पालन के 30 दिवसीय प्रशिक्षण के स्थान पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित दर की स्वीकृति प्रदान करता है ।

विवरण	शासन ज्ञापन क्रमांक ई–2 44/36/90 दि. 7.10.92 एवं 5.11.92 से स्वीकृत 30 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी दरों का विवरण	प्रस्तावित 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत प्रति प्रशिक्षणार्थी पुनरीक्षित दर की विवरण (राशि रूपये में)
1. प्रशिक्षण वृत्ति मय क्षति पूर्ति भत्ता के	रू 750/– अथवा रू 25/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	रू 750/– अथवा रू 50/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
2. नायलोन धागा	2 किलो नायलोन धागा तथा रू 400/– अथवा बाजार दर अधिकृत विक्रेता	रू 400/– मूल्य की सीमा तक का नायलोन धागा
3. प्रशिक्षणार्थी के आने जाने का वास्तविक किराया तथा प्रशिक्षण व्यवस्था	रू 100/–	रू 100/–
योग	रू 1250/–	रू 1250/–

नोटः– आवेदन सादे कागज पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा को प्रस्तुत करना होगा ।

पंचायत के निस्तारी तालाबों/नगर निकाय के तालाबों में अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को अनुदान की योजना

योजना – शर्ते

1. अनुसूचति जातियों के लिये विशेष घटक योजना अंतर्गत प्रदेश के ऐसे अनुसूचित जाति मत्स्य पालकों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी जो शासन नीति अनुसार ग्राम पंचायतों/नगर निकायों से तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करते हो ।

स. क्र.	कार्य जिसके लिये अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) प्रतिशत			अनुदान की अधिकतम सीमा (रू. में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवे वर्ष तक	छटवें वर्ष से शेष पट्टावधि तक	
1	तालाब पट्टा राशि के भुगतान हेतु	100%	50%	25%	8500.00
2	मछली बीज संचयन हेतु	100%	50%	25%	1300.00
3	नाव–जाल के क्रय हेतू	100%	100%	--	2500.00
4	मत्स्य खाद्य, उर्वरक, खाद दवा आदि	100%	50%	25%	2700.00
	कुल योग रूपये				**15000.00**

(योग रूपये पन्द्रह हजार) मात्र

2. मत्स्य पालकों को अनुदान का नगद भुगतान नही किया जावेगा, उन्हें इसका लाभ कार्य अथवा वस्तु के रूप में दिया जायेगा ।
3. मत्स्य पालको के लिये उपर्युक्तानुसार अनुदान अधिकतम 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब हेतु निर्धारित है । अतः मत्स्य पालकों को उपर्युक्त कार्यो के लिये अनुदान की स्वीकृति पट्टे पर प्राप्त तालाब की वास्तविक पट्टा राशि/जलक्षेत्र के आधार पर गणनानुसार दी जावेगी ।
4. मत्स्य पालकों को द्वितीय एवं आगामी वर्षो में अनुदान की पात्रता पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान के सुदुपयोग किये जाने की दशा में, पंचायत के मार्गदर्शन अनुसार

नवीनतम मत्सय पालन तकनीक अपनाने एवं मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जानकारी देते रहने की स्थिति में ही हो सकेगी ।

5. मत्स्य पालकों को पात्रता अनुसार स्वीकृत अनुदान में से पट्टा राशि का भुगतान संबंधित पंचायत/नगर निकाय की मछली बीज, नाव–जाल खाद एवं खाद्य आदि का भुगतान अधिकृत प्रदायकर्ता को किया जावेगा । जाल–नाव हेतु प्रावधानित अनुदान सहायता अवधि के प्रथम पांच वर्षो के दौरान समान किश्तों में देय होगा ।

6. योजनान्तर्गत लाभार्थी को किसी भी दशा में अन्य योजनाओं से मछली पालन के लिये अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी ।

7. मत्स्य पालन अनुदान के लिये पूर्ण जानकारी देते हुए संलग्न प्रारूप में प्रार्थना पत्र क्षेत्र में पदस्थ सहायक संचालक मत्स्योद्योग/मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से जिला पंचायत को प्रमाणित दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

8. तालाब पट्टा धारक समूह के सभी सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने की स्थिति में ही अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा ।

9. मत्स्य पालकों को जिला पंचायतें, वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित धनराशि की सीमा तक ही अनुदान स्वीकृत कर सकेंगी ।

विशेष शर्ते :–

1. तालाब पट्टा अनुबंध की शर्तो एवं शासन की नीति अंतर्गत दोषी/बकायादार मत्स्य पालक इस योजना के तहत अनुदान की पात्र नहीं रहेंगे ।
2. पूर्व स्वीकृत एवं संचालित योजना के तहत लाभान्वित सतत मत्स्यपालक पुनरीक्षित दर पर शेष सहायता के पात्र रहेंगे ।

नोटः– आवेदन सादे कागज पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा को प्रस्तुत करना होगा ।

सिंचाई जलाशयों में अनुसूचित जनजाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान

अनुदान– शर्ते

1- अनुसूचति जन जातियों के लिये उपयोजना क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश की अनुसूचति जनजाति के मछुआ सहकारी समिति को पंचायतों, सिंचाई एवं अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय निकायो के तालाबों को शासन नीति अनुसार पट्‌टे पर लेने और ऐसे तालाबों में पंचायत की तकनीकी मार्गदर्शन में प्रचलित नीति एवं नियमों का पालन करते हुए मत्स्य पालन करने की दशा में योजनान्तर्गत निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगीः–

स. क्र.	कार्य जिसके लिये अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्‌टा अवधि में सहायकी (अनुदान) प्रतिशत			अनुदान की अधिकतम सीमा (रू. में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवे वर्ष तक	छटवें वर्ष से शेष पट्‌टावधि तक	
1	हिस्सा पूंजी अंशदान हेतु	100%	100%	100%	5000.00
2	तालाब पट्‌टा राशि के भुगतान हेतु।	100%	50%	25%	42500.00
3	मछली बीज क्रय एवं संचयन हेतु।	100%	50%	25%	52500.00
4	जाल–नाव के क्रय हेतु ।	100%	100%	--	50000.00
	कुल योग रूपये				**150000/-**

(योग रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र

अनुसूचित जनजाति वर्ग की मछुआ सहकारी समितियों को योजनान्तर्गत उपर्युक्त सहायकी की अधिकतम सीमा रूपये 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार) 100 हेक्टेयर जलक्षेत्र के सिंचाई जलाशय में मत्स्योद्योग विकास हेतु निर्धारित है।

हितग्राही समिति को 100 हेक्टेयर सिंचाई जलक्षेत्र से कम तालाब अथवा अधिक जलक्षेत्र का तालाब आवंटित होने की दशा में, समिति को अनुदान वास्तविक जलक्षेत्र के आधार पर गणना कर स्वीकृत किया जावेगा ।

2- हितग्राही समिति शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की पंजीकृत होने एवं पट्‌टे पर तालाब/जलाशय लेकर मछली पालन करने की दशा में ही अनुदान की पात्रता होगी ।

3- हितग्राही समिति को अनुदान का नगद भुगतान नहीं किया जावेगा । हिस्सा पूंजी अंशदान का भुगतान संबंधित सहकारी बैंक को, मछली बीज संचयन, नाव आदि का भुगतान अधिकृत प्रदायकर्ता को किया जावेगा । जाल/नाव हेतु प्रावधानिक अनुदान सहायता अवधि के प्रथम पांच वर्षो के दौरान समान किश्तों में देय होगा ।

4- अनुदान राशि 01 अप्रेल से प्रारम्भ होने वाले तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले, एक ही वित्तीय वर्ष के लिये वास्तविक व्यय पर आधारित होगा ।

5- मछली बीज, जाल, नाव आदि का क्रयकरण प्रदेश के अधिकृत विक्रेता से किये जाने पर ही समिति को अनुदान की पात्रता होगी ।

6- समिति , पंचायत के अधिकारी को अपने तालाब जलाशयों , उनसे आखेटित मछली, उपकरणों आदि एवं आलेखों का निरीक्षण करने के लिये मॉगी गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगी ।

7- योजनान्तर्गत की द्वितीय एवं आगामी वर्षो में पात्रता अनुसार पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान के सदुपयोग एवं समिति का कार्य संतोषजनक होने पर ही स्वीकृत किया जावेगा ।

8- समिति अनुदान के लिये संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र अपनी प्रबंध समिति के प्रस्ताव एवं समिति के सदस्यों की अद्यतन जानकारी के साथ सहायक संचालक मत्स्योद्योग / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, , मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी ।

9- जिला पंचायतें वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त आवंटन की सीमा तक अनुदान स्वीकृत कर सकेगी ।

विशेष शर्त :–

1. तालाब पट्टा अनुबंध की शर्तो एवं शासन नीति अन्तर्गत दोषी/बकायादार मत्स्योद्योग सहकारी समितियां इस योजना के तहत अनुदान की पात्र नहीं रहेगी ।

नोटः– आवेदन सादे कागज पर सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा को प्रस्तुत करना ।

बचत सह–राहत योजना

संचालनालय मत्स्योद्योग भोपाल का पत्र क्रमांक 2044 / म / बी / 2004–05 दि. 11.08.2004

बन्द ऋतु में तालाबों में मत्स्याखेट बन्द रहता है जिससे कि आपकी समिति सदस्यों को आर्थिक कठिनाईयां आती है, इसी के दृष्टिगत यह अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है, जिससे माह सितम्बर 2004 से मई 2005 तक प्रति सदस्य 50.00 रूपये जमा करने पर 9 माह पश्चात 450 रूपये प्रति सदस्य जमा होंगे तथा इतनी ही राशि विभाग द्वारा जमा की जाएगी तथा बन्द ऋतु में प्रति सदस्य तीन माह में रूपये 300 / – भुगतान किया जावेगा ।

अनुबंध – 1

"ताजा जल जलकृषि का विकास" संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदित सहायता की पद्धति का दर्शाने वाला विवरण ।

क्र.स.	मदों का विवरण	दरे
1.	लाभार्थियों को अपनी भूमि पर इनलैट, आउटलैट और उथले ट्यूबवेलों की अच्छी तरह जांच करने के बाद नए तालाबों और टेंको का निर्माण	मैदानी क्षेत्रों में 2.00 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिए अधिकतम सीमा 50000 प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है सभी किसानों के लिए 40000 प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा से 20 प्रतिशत की दर पर राज सहायता दी जाती है । पहाड़ी राज्यों / जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 3.0 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर / सभी किसानों को 60000 रूपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति को छोड़कर इनके लिए 75000 रूपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है।

क्र.स.	मदों का विवरण	दरे
2.	तालाबों / टंको का पुर्नरूद्धार / नवीनीकरण	60000 प्रति हेक्टेयर सभी किसानों को 12000 रूपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर इनके लिए यह 15000 रूपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है
3.	मछली बीमारियों के लिए प्रथम वर्ष आदान (मछली, बीज, मछली, आहार, उर्वरक, खाद और नियंत्रक उपाय (ईयूएस)	30000 रूपये प्रति हेक्टेयर सभी किसानों के लिए 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिसके लिए यह 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है।
4.	पर्वतीय क्षेत्रों में बहते जल में मछली पालन	100 वर्ग मीटर की प्रति इकाई में 20000 रूपये उपरोक्त लागत में आदानों के 4000 रूपये शामिल है । सभी किसानों के लिए 4000 रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को छोड़कर जिनके लिये यह 5000 रूपये प्रति इकाई (25 प्रतिशत) है। अनुदान प्राप्त होने की शर्तो में प्रत्येक किसान के लिए 3 इकाईयों की अधिकतम सीमा ।
5.	समेकित मछली पालन	80000 रूपये प्रति हेक्टेयर सभी किसानों के लिए 16000 रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को

क्र.स.	मदों का विवरण	दरे
		छोड़कर जिनके लिए यह 20000 रूपये प्रति हेक्टेयर (25 प्रतिशत) है।
6.	ऐरिएटर / पम्प	50000 रूपये / दो 1. एचपी ऐरियटर / एक एचपी डीजल पम्प की इकाई। उन किसानों के लिए जिन्होने 3000 कि.ग्रा. / हेक्टेयर / वर्ष का उत्पादन स्तर हासिल कर लिया है तथा इसे और आगे बढ़ा सकते है, को 12500 रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 25 प्रतिशत की दर से राज सहायता सीमा / एक हेक्टेयर जलक्षेत्र के लिए अधिकतम दो एच.पी. ऐरिएटर / एक 5 एच पी डीजल पम्प स्वीकार्य है।
7.	ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी	मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फ्राई) क्षमता वाली एक मत्स्य बीज हैचरी के लिए 8.00 लाख रूपये तथा पहाड़ी राज्यों / जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समान क्षमता के साथ 12.00 लाख रूपये मैदानी क्षेत्रों में 80000 रूपये और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से राज सहायता केवल उद्यमियों को ।
8.	मत्स्य बीज इकाईयां	बिल्डिंग मशीनरी और उपकरण के लिए इकाई लागत 25 लाख रूपये है इसको निजी क्षेत्र मे स्थापित किया जाएगा । 5.00 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता ।

क्रं.स.	मदों का विवरण	दरे
9.	मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण	10 दिनों की प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100/ रूपये प्रतिदिन की दर से वजीफा तथा यात्रा खर्च/क्षेत्र दौरे के लिए 100 रूपये की एकमुश्त राशि ।
10.	वाहनों की खरीद	प्रत्येक नई मत्स्य पालन विकास एजेंसी (एमएफ)(एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिशत लागत तथा वाहन को बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिशत लागत ।
11.	राज्य स्तर पर (प्रत्येक संबंधित राज्य में एक) ताजा जल झींगा बीज की बड़ी हैचरियों की स्थापना तथा लाभार्थियों के लिए छोटी	25 मिलियन पीएल/वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30 लाख रूपये है। यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य का एक मुश्त अनुदान है। 5–10 मिलियन/पीएल/वर्ष की क्षमता वाली छोटी हैचरी की यूनिट लागत 8 लाख रूपये है। केवल उद्योगपतियों को 1.60 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राजसहायता ।
12.	जल गुणवत्ता तथा मछली के स्वास्थ्य की जांच के लिए राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना	यूनिट लागत 30 लाख रूपये(भवन निर्माण) के लिए 25 लाख रूपये तथा उपकरण कांच के सामान एवं रसायन आदि के लिए 5 लाख रूपये है। यह राज्यों के लिए एक मुश्त अनुदान है। प्रचालन लागत संबंधित राज्यों द्वारा वहन की जाएगी ।

क्र.स.	मदों का विवरण	दरे
13	प्रत्येक एफ.एफ.डी.ए. को मिट्टी एवंज ल परीक्षण किट का प्रावधान	प्रत्येक मिट्टी एवंज ल परीक्षण किट की यूनिट लागत 30000 रूपये है। प्रत्येक एफ.एफ.डी.ए. को एक मुश्त अनुदान के रूप में एक बार किट मंजूर की जाती है।
14.	सजावटी मछलियों के लिए हैचरियों सहित समेकित यूनिटों का गठन	यूनिट लागत 15 लाख रूपये है जिसमें 5–10 मिलियन (फ्राई) की क्षमता की हैचरी शामिल है। मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए 1.50 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत की दर से राज सहायता ।
15	मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई	यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफ एफ डी ए को ढुलाई किए गए 1000 फ्राई के लिए 20 रूपये की दर से राजसहायता व्यक्तिगत मत्स्य किसानों के लिए लागू नहीं है।

एफ एफ डी ए के अंतर्गत उपरोक्त सहायता लाभार्थियों को केवल एक बार उपलब्ध है।

नये तालाबों तथा टेंको के निर्माण तथा तालाब/टैंको के पुर्नरूद्धार नवीनीकरण के लिए राजसहायता अकेल लाभार्थी को 1 हेक्टेयर से कम तथा 5 हेक्टेयर तक के लिए मैदानी क्षेत्रों संस्थागत वित्त के साथ अथवा उसके बिना प्रथम वर्ष आदान उपलब्ध है और पर्वतीय राज्यों / जिलो में 1.0 हेक्टेयर यथा अनुपात आधार पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघो के जरिए मछुआरा सहकारी समितियों को भी विकासात्मक गतिविधियों के लिए राजसहायता के रूप में उपरोक्त सहायता उपलब्ध है।

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा अन्तर्गत श्री एल.एम.उईके सहायक ग्रेड–3 द्वारा निम्नानुसार आलेख संधारित किया जाता है। –

स्थापना शाखा :–

(1) व्यक्तिगत आलेख अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

1. द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संधारण ।
2. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, कार्यमुक्ति तथा उपस्थिति आदि।
3. वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति ।
4. अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश, अवैतनिक अवकाश तथा आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश बाबत कार्यवाही ।
5. सेवा पुस्तिका अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारियों का सेवा सत्यापन कार्य ।
6. वांछित समस्त प्रविष्ठियां संधारित सेवा पुस्तिका में करना ।

(2) न्यायालयीन प्रकरण :– कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई प्रकरण नही है।

(3) विभागीय जांच :– अधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित

वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कार्यालय प्रमुख को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने पर तत्सम्बन्धी समस्त कार्यवाही करने संबंधी नस्थी संधारण करना ।

(4) गोपनीय प्रतिवेदन :–

कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की पंजी संधारित करना एवं नस्थी संधारित करना ।

(5) विभागीय प्रशिक्षण :–

वरिष्ठ कार्यालय या अन्य कार्यालयों द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण पर भेजे जाने बाबत् नस्थी संधारण करना ।

(6) निर्वाचन या अन्यत्र ड्यूटी संबंधी :–

निर्वाचन कार्यालय अथवा अन्य कार्योलयों द्वारा अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाये जाने संबंधी नस्थी संधारण करना ।

(7) मासिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधी नत्स्थी संधारण करना निम्नानुसार :–

1. कर्मचारी, अधिकारी के वैयक्तिीक मामलों के निराकरण का कर्मचारी कल्याण अभियान।
2. न्यायलयीन प्रकरण
3. अनुकम्पा नियुक्ति ।
4. रिक्त पदों की जानकारी अनु.जाति/जनजाति बेकलॉग के पदों को भरने हेतु ।
5. स्टाफ पोजिशन ।

(8) निम्नानुसार नत्स्थी संधारित की जाती है :–

1. एम्पलाई डाटा बेस संबंधी पत्राचार ।
2. द्वितीय, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची ।
3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति ।
4. अचल सम्पत्ति ।
5. कार्यालयीन कर्मचारियों के कार्य विभाजन बाबत ।
6. कार्यालय भवन पत्राचार संबंधी ।
7. रोस्टर संधारण बाबत् ।

(9) पेंशन प्रकरण बाबत् नत्स्थी का संधारण :–

(10) स्थापना संबंधी परिपत्र की नस्त्थी का संधारण :–

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा अन्तर्गत श्री एल.एम.उईके सहायक ग्रेड–3 द्वारा निम्नानुसार नस्थीयां एवं पंजीयों का संधारण किया जाता है। –

(1) स्थापना शाखा :–

1. चतुर्थ श्रेणी, कान्टीजेंसी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नस्थीयां एवं सेवा पुस्तिका, पेंशन प्रकरण, पदस्थापना, कार्य मुक्ति तथा उपस्थिति आदि ।
2. चतुर्थ श्रेणी वर्दी पंजी का संधारण
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली पंजी का संधारण,
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अचन संपत्ति नस्थी
5. चतुर्थ श्रेणी एवं कान्टीजेंसी कर्मचारियों के अवकाश सभी प्रकार के नस्थी
6. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बहाली बाबदृ नस्थी –

समय–समय पर परिपत्रों के आधार पर जानकारी बाबदृ नस्थी,मासिक जानकारी की नस्थी एवं नियुक्ति आदेश की नस्थी ।

(2) समस्त सामग्रीयों का कयकरण/भण्डार शाखा :–

श्री एस.के.श्रीवास्तव सहायक मत्स्य अधिकारी द्वारा स्थाई एवं अस्थाई सामग्री का कयकरण नस्थी, कय करण हेतु समिति का गठन, कय आदेश एवं अन्य कार्यवाही संबंधी नस्थी

1. परिशेबल पंजी का संधारण
2. नानपेरिशेबल पंजी का संधारण

(3) स्टेशनरी कय करण :–

अधिकारों के तहत गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर कय करण नस्थी

1. स्टेशनरी पंजी का संधारण
2. कय पुस्तकों की पंजी का संधारण

(4) वाहन का रखरखाव :– श्री एस.के.श्रीवास्तव (स.म.अ.)

1. वाहन की टुट–फुट, मरम्मत आदि संबंधी नस्थी एवं वाहन रजिस्ट्रेशन रखरखाव
2. वाहन अधिगृहण बाबद नस्थी
3. डीजल एंव आईल संबंधी पंजी का संधारण , साथ ही पार्टस् पंजी का संधारण

(5) जावक :– श्री लोकमन उईके सहा.वर्ग 3

1. जावक पंजी का संधारण
2. डाक टिकटों की पंजी का संधारण

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा
रेकार्ड संधारण लेखा शाखा

1. वेतन देयक, एफ.व्ही.सी. श्री लोकमन उईके सहायक वर्ग 3 द्वारा संधारण किया जाता है।
2. कर्मचारियों को स्वीकृत अग्रिम आदि की पंजी का संधारण
3. प्राप्त व्यय की पंजी में संधारण
4. मासिक व्यय विवरण पत्रक पंजी संधारण
5. समस्त कर्मचारियों का जी.पी.एफ. पास बुक संधारण
6. जिला योजना की तैयरी एवं पंजी का संधारण
7. पुनरीक्षित बजट अनुमान की तैयरी
8. विभिन्न रजिस्टर का संधारण
   1. केश बुक वर्ष 2007–2008
   2. बिल रजिस्टर
   3. बी.टी.वी
   4. चेक रजिस्टर

5. बैंक ड्रॉफट रजिस्टर –
6. अनाज अग्रिम रजिस्टर
7. त्यौहार अग्रिम रजिस्टर –
8. डी.पी.एफ. रजिस्टर
9. स्कूटर अग्रिम रजिस्टर
10. कान्टीजेन्ट रजिस्टर
11. सिक्यूरिटी रजिस्टर
12. टेलीफोन/किराया भुगतान रजिस्टर

बिन्दु क्रमांक – 8

उन बोर्डों, परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये है, का विवरण पब्लिक के लिये (सार्वजनिक रूप से) खुले है और क्या ऐसे सम्मिलनों के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुंच योग्य/अभिगम्य है।

बिन्दु क्रमांक –9

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा अन्तर्ग सम्पादित कोष हेतु गठित कमेटियों की जानकारी :–

योजना शाखा के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कमेटियां गठित की जाति है ।

1. तालाब पट्टा आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाना

1. ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम सभाएं
2. जनपद पंचायत स्तर की कृषि स्थायी समिति
3. जिला पंचायत स्तर पर

2. मत्स्य बीज संचय विभागीय जलाशय

1- कार्यालय प्रमुख

2- जलाशय प्रभारी

3- जलाशय में कार्यरत दो मछुआ सहकारी समितियों के अध्यक्ष/सचिव

4- जलाशय क्षेत्रान्तर्गत जनप्रतिनिधी

5- संचालक मत्स्योघोग, मध्य प्रदेश भोपाल के प्रतिनिधी

3. मछुआ प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत की अनुशंसा कर एवं जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की अनुशंसा पर चयन किया जाता है।

4. विभागीय ऋण एवं अनुदान

सहकारी समितियों / मत्स्य पालकों के ऋण एवं अनुदान के प्रकरणों का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से किया जाता है।

अभिकरण द्वारा देय ऋण एवं अनुदान के प्रकरण को कृषि स्थायी समिति के द्वारा अनुमोदन एवं मत्स्य कृषक विकास अभिकरण प्रबन्धक कार्यकारिणी से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा संचालित समस्त कार्य योजनाओं के लिये किये गए कार्यो की स्वीकृति मत्स्य कृषक विकास अभिकरण की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है जो निन्नानुसार है ।

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2. कार्यालय जिला प्रमुख (सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा)	सचिव
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4. सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां	सदस्य
5. उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य
6. बैक प्रतिनिधी	सदस्य

7. दो अशासकीय व्यक्ति	सदस्य
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग	सदस्य

स्थापना शाखा :–

1. संयुक्त परामर्श दात्री समिति का गठन :–

कार्यालय प्रमुख	अध्यक्ष
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष	सदस्य
चतुथ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष	सदस्य
कार्यालय के दो कर्मचारी	सदस्य

क्रय शाखा/स्टेशनरी क्रय– समस्त सामग्री एंव लेखन सामग्री के क्रयकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन :–

1. क्रयकरण समिति :–

1. सहायक संचालक	अध्यक्ष
2. सहायक मत्स्य अधिकारी	सदस्य
3. मत्स्य निरीक्षक	सदस्य

2. भंडार अनुउपयोगी सामग्री के अपलेखन हेतु समिति का निम्नानुसार गठन :–

1. कार्यालय प्रमुख अध्यक्ष
2. दो अन्य राजपत्रित 2 सदस्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

जिला खण्डवा (म.प्र.)

मत्स्य कृषक अभिकरण खण्डवा बजट एवं व्यय पत्रक वर्ष 2007–2008

स.क्र.	योजना का नाम	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)
1	2	3	4
1.	**मांग संख्या – 15**		
	3313 मत्स्य पालन प्रसार	**0.15**	-
	42 अनुदान 007 अन्य	**0.30**	**0.10**
	4970 मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को अनुदान	-	-
	42 अनुदान 007 अन्य	-	-
2.	**मांग संख्या – 80**		
	4970 – मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को अनुदान		
	41 छात्रवृत्ति	**0.64**	**0.11**
	42 आर्थिक सहायता अन्य	-	-
	002 संधारण	**0.50**	**0.32**
	007 अन्य	**14.96**	**0.40**
3	**मॉग संख्या 52**		
	4970 मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों को अनुदान		
	42 आर्थिक सहायता	**2.00**	-
	002 संधारण (कार्यालय व्यय)	-	-
	007 अन्य अनुदान	-	-

क्रमांक – 12

क्र.	योजना का नाम	हितग्राही का नाम एवं पता	जाति	अनुदान राशि
1	2	3	4	5
1	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	श्रीमति राजकुमारी बाई w/o दूर्गा प्रसाद ग्राम लोहारी विकास खण्ड खण्डवा	सामान्य	40,000

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा म.प्र.
लोक सूचना अधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी
प्रथम अपीलीय ,द्वितीय अपीलीय अधिकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
जिला खण्डवा	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	1. श्री के.एल.मरावी सहायक संचालक मत्स्योद्योग 2. श्री आर.डी.वर्मा मत्स्य निरीक्षक 3. श्री लोकमन उईके सहायक ग्रेड 3 (कार्यालय)	मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश भोपाल
विकासखंड				
1.खण्डवा पूनासा हरसूद	सहायक संचालक मत्स्योद्योग खंडवा	श्री एस.के.श्रीवास्तव सहा.मत्स्य अधिकारी खंडवा	मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश
2. पंधाना छैगावमाखन	सहायक संचालक मत्स्योद्योग खंडवा	श्री आई.के.सिंह मत्स्य निरीक्षक सुक्ता जलाशय पंधाना, छैगांवमाखन	मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश
3 खालवा बलड़ी	सहायक संचालक मत्स्योद्योग खंडवा	श्री आर.डी वर्मा मत्स्य निरीक्षक खालवा, बलड़ी	मु.का.अ.जिला पंचायत खण्डवा	संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश

पृ.क. /सूचनाअधिकार/ खंडवा दिनांक

प्रतिलिपी :–

1. आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
2. संचालक मत्स्योद्योग म.प्र.भोपाल
3. कलेक्टर महोदय खण्डवा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खण्डवा
5. संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग इन्दौर
6. कोषालय अधिकारी जिला खण्डवा
7. उक्तानुसार सर्व सम्बन्धित श्री...को ।